रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274605
CG-DL-E-20072026-274605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3789] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948
No. 3789] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

का.आ. 3955(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो पश्चिमी बंगाल राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो सुश्री सुष्मिता देव, की उनकी पदावधि, जो तारीख 2 अप्रैल, 2030 को सम्मिलित करते हुए 2 अप्रैल, 2030 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 10 जून, 2026 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, को भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

घोषणा

पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूं कि—

सुष्मिता देव,

68, एस एम देव रोड,

रेलवे स्टेशन के निकट,

सिलचर, तारापुर भाग I,

तारापुर, कछार,

असम - 788003

भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं, उस सदन में सुश्री सुष्मिता देव के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थानः विधान सभा भवन, कोलकाता

तारीख: 17 जुलाई, 2026

ह0/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा.सं.एच-11024/6/2026-वि02]

अकाली वी कोंघे, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

S.O. 3955(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of West Bengal that fell vacant on 10th June, 2026 by reason of resignation of Ms. Sushmita Dev, before the expiration of her term of office which was up to and including 02nd April, 2030, is published for general information:-

DECLARATION

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Sushmita Dev
68, S M Dev Road,
Near Railway Station,
Silchar, Tarapur Pt I,
Tarapur, Cachar,
Assam - 788003

sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Ms Sushmita Dev.

Place: Assembly House, Kolkata.

Date: The 17th July, 2026.

Sd/-

Returning Officer"

[F. No. H-11024/6/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

का.आ. 3956(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो पश्चिमी बंगाल राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो श्री प्रकाश चिक बाराईक, की उनकी पदावधि, जो तारीख 18 अगस्त, 2029 को सम्मिलित करते हुए 18 अगस्त, 2029 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 11 जून, 2026 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, को भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

घोषणा

पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूं कि—

प्रकाश चिक बाराईक,

ग्राम – न्यूलैंड्स टी. जी.,

पी.ओ. – न्यूलैंड्स पी. एस. कुमारग्राम,

जिला - अलीपुरद्वार, पिन – 736205

भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में श्री प्रकाश चिक बाराईक के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थानः विधान सभा भवन, कोलकाता

तारीख: 17 जुलाई, 2026

ह0/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. एच-11024/6/2026-वि02]

अकाली वी कोंघे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

S.O. 3956(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of West Bengal that fell vacant on 11th June, 2026 by reason of resignation of Shri Prakash Chik Baraik, before the expiration of his term of office which was up to and including 18th August, 2029, is published for general information:-

DECLARATION

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Prakash Chik Baraik
Vill - Newlands T.G.,
P.O. - Newlands, P.S. Kumargram,
Dist. - Alipurduar, PIN - 736205

sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Prakash Chik Baraik.

Place: Assembly House, Kolkata.

Date: The 17th July, 2026.

Sd/-

Returning Officer"

[F. No. H-11024/6/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

का.आ. 3957(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो पश्चिमी बंगाल राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो श्री सुखेन्दु शेखर रॉय, की उनकी पदावधि, जो तारीख 18 अगस्त, 2029 को सम्मिलित करते हुए 18 अगस्त, 2029 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 8 जून, 2026 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, को भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

घोषणा

पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूं कि—

सुखेन्दु शेखर रॉय,

1/111/1, गरिया हाट रोड़ साउथ,

जोधपुर पार्क, कोलकाता – 700068

भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में श्री सुखेन्दु शेखर रॉय के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थानः विधान सभा भवन, कोलकाता

तारीख: 17 जुलाई, 2026

ह0/-

रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. एच-11024/6/2026-वि02]

अकाली वी कोंघे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

S.O. 3957(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of West Bengal that fell vacant on 08th June, 2026 by reason of resignation of Shri Sukhendu Sekhar Ray, before the expiration of his term of office which was up to and including 18th August, 2029, is published for general information:-

DECLARATION

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Sukhendu Sekhar Ray

1/111/1, Gariahat Road South,

Jodhpur Park, Kolkata - 700068

sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Sukhendu Sekhar Ray.

Place: Assembly House, Kolkata.

Date: The 17th July, 2026.

Sd/-

Returning Officer"

[F. No. H-11024/6/2026-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.20 14:41:42 +05'30'